क्षेत्रिय मविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

भविष्य निर्दे मकन्, कारकोप पोयसर रोड, कॉदिवली (पत्रिथम), मुंबई - ४०० ०६७

OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Charapp Poiser Hoad, Kandivil	(W), Mumbal
d./ 相助 / 和. A. / प्रयोज्यता NO. MH/PF/APP/ 2/2 327 / En 8/484	বিশান্ত Detail of 12 0
day 4 Contra telegraphic Sept Contract	Date: 03-12-2000
mls Sharp facility Monagement (P) 24. 308 Royal Ottoge, Castes Road Borivali CES minha Hovol	GREEN, Cr. problem
विषय : फर्मचारी मविष्य निधि एवं प्रकिलं उत्तर अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई का आवंटन ।	योजना - इसकी प्रयोज्यता - संकेत संख्या
Sub : Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, thereunder applicability thereof - Allotment of code number.	1952 and the scheme framed
महोदय, Sirs.	The same and the same of the s
1. आपकी फैक्ट्री/स्थापना उसकी सभी शाखार और विभागों के साथ दि से :	कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध
अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई कोजना के प्रक्षिधान खण्ड में समाविष्ट की गई है। उप	लब्ध सूचनाओं के अनुसार यह प्रकट होता
Your factory/establishment with all its branches and departments is broken provisions. Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and with effect from	ought within the purview of the the scheme framed thereunder
1. आपकी फैक्ट्री अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योत — का कार्य करती अधिन कर्मचारी मयिष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू होता है।	है जिसपर अधिनियम की घारा 1(3)
(1) Your factors in any series and series are series and series and series and series and series are series and series and series and series are series and series and series and series are series are series and series are series are series and series are series are series are series are series and series are series ar	ett di angulardina
Schedule I to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Prounder Section 1 (3) (a) of the Act.	of the Industries specified in ovisions Act, 1952 is applicable
2 आपकी स्थापना के लिए वर्गीकृत की गई है जिसपर अह	प्रेनियम की घांरा 1(3) (बी) के अनुसार
the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provident Additional Control of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provident Additional Control of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provident Additional Control of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provident Funds Advanced Funds Advanced Funds Advanced Funds	10 which
issued under Section 1 (3) (b) of th	O AM TO THE HAMMER PERSONAL ROOM
\$. आपकी फेक्ट्री / स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूची 1 कें जल्लिखित उद्योग में तथा अधिनियम सरकार द्वारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भुत नहीं है। अत: आपकी स्थापना के अ-सूचिक	
भाग पाय पडताल / उपलब्ध संघना के आवार कर	
सत्यापित हो जाए। (1-A) The coverage is provisional on the basis of enquiries made/information that the verification of your records for prior periods.	on available and is subject to
further verification of your records for prior periods. (1-ख) अधिनियम की घारा (1) (4) के अनुसार कर्मचारी मिक्य निधि एवं प्रक्रिण उपलब्ध अधिनियम	TOTAL SECTION OF THE SECTION

thirty endaned the many sector

HAD SEAL

।। निगम हिन्दी पत्राचार का स्वागत करता है ।। उप क्षेत्रीय कार्यालय

पंजीकृत पावती देय Registered AD सी/C-11

SUB REGIONAL OFFOCE

कर्मचारी राज्य बीमा निगम EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

पंचदीप भवन, प्लॉट नं. 9, रोड नं. 7, एम. आय. डी. सी.मरोल, अंधेरी (पू.) मुंबई - 400 093. <u>೨०१२</u> Panchadeep Bldg., Plot No. 9, Road No. 7, M.I.D.C., Marol, Amdheri (E), Mumbal - 400 093. <u>೨०१२</u>

	7, Marol, Amorien (E), Mumbai - 400 093. 27/2
संख्या/No.31	COV RM-9365 (35000061750001001) . Ritio / Dated: 21-4-10
सेवा मे / To,	
	Sharp facility Management Pot atol.
	206 Lauxmi Ind. Estecte
	Pentar Pala Mahajanwadi
_	Mira Road (East)
f	वेषय :- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का कार्यान्वयन और (यथा-संशोधित) अधिनियम की
(1)	धारा 2(12) / 1(5) के अधीन कारखानों तथा स्थापनाओं के कर्मचारीयों का पंजीकरण ।
S	ubject :- Implementation of the E. S. I. Act. 1948 and Registration of Employees of the
No.	raciones and Establishments under Section 2(12) / 1(5) of the Act as amended.
महोदय / Dea	r Sir/s,
1.	आपको ग्राचित किया जाता है कि वर्गा करें
1.	आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1 (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने
	अधिसूचना संख्या दिनांक द्वारा
	हेतु अधिनियम के उपबंध बनाए है।
	It is informed that under Section 1(3) of the E.S.I. Act., 1948,the Central Government has vide, Notification
	No made the Provisions of the Act
	applicable to all factories / establishments covered under the Act within the (Area)
	(Area)
2.	यह सभी सूचित किया जाता है कि समुचित सरकार ने अधिनियम की धारा 1 (5) के अधीन अधिधसूचना
7	संख्या द्वारां तारीख
	से अन्य स्थापनाऔं पर अधिनियम के उपबंधों / धाराओं का विस्तार कर दिया है ।
	It is further informed that the appropriate Government has extended the Provision of the Act to Other
	establishment under Section 1(5) of the Act within effect from (vide Notification
	No)
3.	अधिानयम की धर 2 - क के अधीन ऐसे कारखाने स्थापना को अधिनियम के अधीन पंजीकृत करना अनिवार्य है तथा
	अध्याय 4 के अन्तर्गत प्रधान नियोजक की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वे अपने सभी कर्मचारीयों को पंजीकृत कराएं
	तथा अधिनयम के अधीन व्याप्त सभी कर्मचारीयों के अंशदान की अदायगी करें।
	Under Section 2 - A of the Act, such a factory / establishment is rquired to register itself under the Act and
	chapter IV there of casts a responsibility on the Principle employer there of to insure his employees and pay
	contributions in respect of these employees covered under the Act.
4.	आपके द्वारा भेजे गए आपके कारखाने / स्थापना की निरीक्षण संबंधी निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार दिनांक
	की बीमा निरीक्षक / शाखा कार्यालय प्रबंधक द्वारा आपके कारखाने / स्थापना की निरीक्षण संबंधी निरीक्षण संबंधी निरीक्षण रिपोर्ट के
	अनुसार आपका कारखाना / स्थापना दिनांक मे अधिनियम की धारा २(12) / 1(5) की
	सीमा में आता हैं। फिर भी यदि, बाद में जॉच करने पर यह बात सामने आती है कि आपका कारखाना / स्थापना
	उल्लिखित तारीख से पहले व्याप्ति योग्य था तो उस पिछली तारीख से अधिनियम की धाराओं का अनुपालन करना आपकी
	जिम्मदारा होगा ।।
	જુ. યુ. ય.
	P.T.O.

AND SCA

Scanned by CamScanner

On the basic of hte Particular in respect of your factory / establishment submitted by you the report of the Inspection Conducted by the Insurance Inspector / Branch Office Manager who inspected your your factory / establishment fails within the factory establishments on 23-2-10 however, subsequent facts reveal that your factory / establishment was coverable from a date prior to the date mentioned above, you shall make your self liable to comply with the provision of the Act from such आपसे अनुरोध है कि आप अधिनियम के अधीन व्याप्ति की तारीख से आप अपने कारखाने / स्थापना के कर्मचारीयों के घोषणा पत्र भरणे तथा उनके पंजीकरण और अंशदान व रिकार्ड के अनुरक्षण संबंधी कार्रवाई तुरन्त करें तथा रिकार्ड आदि का अनुरक्षण करें। It is requested to take immediate steps for registration of your employees by sumitting Declaration Forms, payment of contribution, maintenance of record etc. from the date of coverage of your factory / establishment under the Act. आपकी सुविधा के लिए कारखाने / स्थापना को कूट संख्या . 8 है जिसका इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय प्रयोग किया जाए तथा उत्क संख्या सभी फार्मों में यथास्थान दर्शायी में स्थित निगम के शाखा कार्यालय को अनुदेश भेज दिए गए है कि वे आपके कर्मचारीयों के पंजीकरण से संबंधित प्रकिया में आपकी हर संभव सहायता करें । कोई कठिनाई होने पर अथवा योजना से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए आप उपरिलिखित शाखा कार्यालय प्रबन्धक से पुछताछ करें जो आपकी इस संबंध में हर संभव सहायता करेंगे । for the sake of convenience, your establishmen has been allotted code No. 350000 617500 [50] which may kindly be used in all communication sent to this office and on all forms at the places indicated has been instructed to render necessary assistance to you in connecting with registration of your employees. In cse you find any difficulty or for any other purpose which may be necessary in connection with the Scheme, you are requested to contact the Manager of the above Branch Office who will render neccessary help in the matter. अनुरोध है कि बीमा चिकित्सा व्यवसायियों / राज्य बीमा औषधालयों की सूचियों का अपने कारखानो / स्थापना मे प्रचार करें ताकि आपके कर्मचारी अपने राज्य बीमा औषधालयों / बीमा चिकित्सा व्यवसायिकों का चयन कर सकें । अपेक्षित कार्म आदि उपरिलिखित शाखा कार्यालय से प्राप्त करें जिसके साथ आपके सभी कर्मचारी भी सम्बध्द होंगे । It is requested that publicity may kindly be given to list of Insurance Medical Practitioners, Dtate Insurance Dispensaries to enable your employees to choose their State Insurance Dispensary / Insurance Medical Practitioner, Required forms etc. may please be collected from the Brabch Office mentioned above to wh all your employees will also be attached. निगम के कर्मचारी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन आपको अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन हेतु हर संभव एव आवश्यक सहायता सहर्ष प्रदान करेंगे । मुझे विश्वास है कि आप कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम तथा विनियम के उपबंधों का समय से अनुपालन करेंगे। This Corporation Officials would be pleased to give all necessayr and possible guidance to you in discharging your duties and obligations under the ESI Act, 1948, and I am confident of prompt and early compliance under the provisions of the ESI Act and Regulations on your Part. कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान स्वीकार करने के लिए पाधिकृत बैंक शाखाओं की एक सूची संलग्न है । आप अपनी सुविधानुसार इन शाखाओं में से कोई एक शाखा चुनने की कृपा करें और इसकी सूचना इस कार्यालय कोतथा भारतीय स्टेट बैंक की संबंधित शाका को भेज दें तथा केवल उत्क शाखा में कर्मचारी राज्य बीमा राशि जमा करायें । यदि इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर आपस्ओा कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो जिस अधिकृत शाखा विशेष में आपने अंशदान



की राशि जमा कराई होगी उसे आपके कारखाने / स्थापना के लिए नामित शाखा मान लिया जाएगा ।

condidered as Nominated Branch for your factory / establishment.

A list of Bank Branches who are authorised to accept ESI contributions is enclosed. You may choose one of the Branches convenient to you, under intimation to this office and to the concerned branch of the State Bank of India and deposit ESI dues in that branch Only. In case no Intimation is received branches would be

....0

		:3:		
	10.	10. योजना के अन्तर्गत उपलब्ध हितलाभों, नियोजकआदि के उत्तरदायित्वों की विविरणिका / ईश्तहार इसके साथ इस नि		
		enclosed herewith with request to give wide publicity towards smo	e and obligation of the employer etc. is	
	11.	कृपया विलंब से बचने के लिए सभी करण	ar are contents.	
	12.	Furthure correspondence in this second	alay.	
		You are attach for Administrative Convenience.	nce Branch Whom भवदीयें / Your Faithfully	
	"Principed	Section 1 and the section of the sec	1 Tour Faithfully	
	babile	* 5 f.K.	$\Lambda \sim \geq \Lambda$	
	derropp	egha Nombus'	July John Dollanding	
		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	(T.N. Doigoelix's	
3177	नामक ८०	and it is a second	उपपिनदेशक / DY. DIRECTOR	
30	THINGS EI	ncl : / यथोपरि As above		
प्रति Cop	लेपी निम्न Dy for inf	ालिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई देतु प्रेषित : ormation and necessary action to :		
1.	प्रबंधक,	शाखा कार्यालय		
2.	100 1010	anager, Branch Office Misa Road		
۷.	103-ক 103-A E	राखा : Branch		
3.	बीमा नि	रीधक		
	The Ins	surance inspector Mira Road		
	मधान, नि Natur	पोजक का नाम of Work - Facility Management	port v	
		यों की संख्या		
		ा लाइसेस संख्या, यदि कोई हो		
	Factory	Licence No., if any	3	
4.	चया चित्रेष	यक (वित्त)		
		on Branch Mira Road		
·	सी -6 शा		1	
20	C = 6 Bo			

उपिनदेशक / DY. DIRECTOR

कृपया सुनिश्चित करें : पूर्ण सामाजिक सुरक्षा के लिए सभी कामगारों को क. रा. बी. में बीमांकीत कराएं । ENSURE - TO INSURE ALL ELIGIBLE WORKERS WITH ESI FPR TOTAL SOCIAL SECURITY.

AND SERVICE Wined

Scanned by CamScanner